HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JAN. 28, 1991 (MAGHA. 8, 1912 SAKA)

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0डी0—91 / 751.— अद्यतन यथासंशोधित पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप—धारा (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शें में दर्शायी गई अनुसूचीं में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव कादरपुर में उच्च विद्यालय, जिला गुड़गांव के आस पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं:—

अनुबन्ध

जिला गुड़गांव के गांव कादरपुर में उच्च विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा—अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 161/90, दिनांक 5 मई, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अनुसूची

उत्तरः बिन्दु ''ए'' से लेकर, जोकि गांव कादरपुर की आयत संख्या 14 का उत्तर—पश्चिमी कोना है। हरियाणा सरकार की राजपत्र संख्या 10 डी०पी० 81/8039, दिनांक 21 मई, 1981 द्वारा घोषित गुड़गांव के अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र IV की सीमा के साथ—साथ उत्तर—पूर्व की ओर बिन्दु ''बी'' तक, जोकि गांव उल्हावास की आयत संख्या 41 का उत्तर पश्चिमी कोना है।

पूर्वः उसके बाद गांव कादरपुर के पहाड़ की तराई के साथ-साथ दक्षिण की ओर, बिन्दु "सी" तक, जोकि गांव कादरपुर की आयत संख्या 69 का दक्षिण-पूर्वी कोना है।

दक्षिणः उसके बाद गांव कादरपुर की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ—साथ पश्चिम की ओर बिन्दु ''डी'' तक, जोकि गांव कादरपुर की आयत संख्या 63 का दक्षिण—पश्चिमी कोना है।

पश्चिमः उसके बाद गांव कादरपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दू "ए" अर्थात् आरम्भ के बिन्दू तक।

तरसेम लाल,

आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

324

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA), JAN 28, 1991 (MAGHA 8, 1912 SAKA) TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 1991

No. JD-91/751. -- In exercise of the powers conferred by sub-section(i)(b) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Government High School at village Qadarpur, district Gurgaon as specified in the schedule given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled area, for the purposes of the said Act, namely:-

ANNEXURE

Schedule of boundaries of the controlled area around High School at village Qadarpur, district Gurgaon to be read with Drawing No.DTP(G)161/90, dated 5th May, 1990.

SCHEDULE

North

Starting from point 'A' which is the north-western corner of rectangle No.14 of the village Qadarpur, thence towards north-east along the boundary of additional controlled area IV Gourgaon declared, - *vide* Haryana Government Gazaette No.10 DP-81/8039, dated 21st May, 1981 upto point 'B' which is north-western corner of rectangle No.41 of village Ulhawas.

East

Thence towards south along the foot-hills of village Qadarpur upto point 'C' which is south-eastern corner of rectangle No.69 of village Qadarpur.

South

: Thence towards west along the southern revenue boundary of village Qadarpur upto point 'D' which is the south-western corner of rectangle No.63 of village Oadarpur.

West

Thence towards north along the western revenue boundary of village Qadarpur upto point 'A' i.e. the point of start.

TARSEM LAL.

Commissioner and Secretary to Government, Town and Country Planning Department